राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी.3( )निगो/गो.पं.न.सु./मं.मु.ब.घो./2016/ दिनांक :–

**संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,**
**भीलवाडा, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर,**
**जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं, जोधपुर,**
**जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, पाली,**
**सिरोही एवं उप निदेशक,**
**पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी (राज.)।**

**विषय :– गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि के उपयोग के सम्बन्ध में गौशालाओं में आवासित गौवंश के पालन–पोषण हेतु सहायता दिये जाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 व उसके अन्तर्गत जारी परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के अनुरूप पात्र गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि दिये जाने हेतु निदेशालय पशुपालन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 16005–37/11.01.2017 के द्वारा प्रथम चरण में आपके जिले को बजट राशि का आवंटन किया गया था।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए सहायता राशि प्राप्त करने हेतु तथा गौवंश की पहचान के लिए टैगिंग का प्रावधान प्रथम बार किया गया है। दिनांक 09.03.2017 को समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि आपके जिले की कुछ गौशालाओं में टैगिंग अभी तक भी नहीं की गई है, जिसके कारण प्रथम किश्त की स्वीकृति भी जारी नहीं हो पाई है जबकि द्वितीय किश्त की राशि भी इसी वित्तीय वर्ष में आवंटित की जानी है।

अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि टैगिंग से वंचित पात्र गौशालाओं में टैगिंग कार्य का अभियान टीम गठित कर यथाशीघ्र करवाया जाये जिससे कि पात्र गौशालाओं को सहायता राशि का वितरण किया जा सके एवं आवंटित बजट राशि का उपयोग समयसीमा पर हो सके। आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं किये जाने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जिसके लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

**शासन सचिव**

क्रमांकः– एफ.वी.3( )निगो/गो.पं.न.सु./मं.मु.ब.घो./2016/ 2389-95 दिनांक :– 20.3.2017

**प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय पशुपालन, राज. जयपुर।
4. सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अजमेर, बीकानेर, जयपुर एवं जोधपुर।

**शासन उप सचिव**